

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर।  
अनवर अहमद बनाम अभिनव यादव आदि।  
थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही।

सी0एन0आर0 नं0UPSN040016072021

फाइलिंग नं.0 CJM / 1607 / 2021

**दिनांक—18.03.2021**

आज कार्यलय से आवेदक अनवर अहमद व अब्दुल कलाम की ओर से प्रार्थनापत्र मय परिवाद अन्तर्गत एच.आर.केस प्रस्तुत हुआ। परिवाद दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली वार्ते अग्रिम आदेश सुनवाई हेतु दिनांक 07.04.2021 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

भदोही-ज्ञानपुर।



CHN NO-JPSN040016072021  
FILING NO-crm/1607/2021  
FILING DATE-18/03/2021

Reg No- 396/2021

न्यायालय श्रीमान् सी.जे.ए.महोदयभद्रोही, ज्ञानपुर,

न०मु० फैजदा री सन २०२०

अनुष्ठर अहमद आदि :---- बनाम :---- अभिभव यादव आदि  
थाना - ज्ञानपुर, ।

प्रार्थनापत्र मिनजानिब आवेदकगण मार्फत श्री श्री. पृष्ठ सल्लाहदावौकेट।

दफा । यहीक प्रार्थिगण ने मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद पत्र माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदयभद्रोही ज्ञानपुर कोर्टसं०।  
के न्यायालयमें दाखिल कियाथा जिसके सम्बन्ध में न्यायालय हारा जाँच की प्रेरित्या अग्रसर की गयीहै।

दफा 2यहीक प्रार्थिगण हारा प्रस्तुत संलग्नक परिवादपत्र की सुनवाई संघ प्रसंज्ञान का क्षेत्राधिकार ए.एस.जे. महोदय भद्रोही, ज्ञानपुर कोर्टसं०।  
को नहीं थाइसलिये प्रार्थिगण का परिवादपत्र अंतर्गत धारा 20।  
द०प्र०स० में आवेदकगण को वापस दिया है।

दफा 3. यहीक धूमिक सरकारी कर्मियारी के विरुद्ध सभी प्रकार के परिवादपत्र व अपराधिक मुकदमा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है इसलिये प्रार्थिगण संलग्न परिवादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः श्रीमानजीते प्रार्थनाहीक संलग्न परिवादपत्र ग्रहण कर अग्रेतर कार्याहीकरने की कृपाकरे ताकि न्यायहो।

दिनांक 18.3.2021 ई०

अब्दुल कलाम

31/3/2021

18/03/2021


न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम

1993 / अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

01.02.2021

श्री अनवर अहमद पुत्र खलील व श्री अब्दुल्ला कलाम पुत्र बरकत अली सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही जिनकी पहचान अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार पंजीकरण संख्या- 9398/13 है के द्वारा शिनाख्त की गयी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है कि दिनांक 29.01.2021 को दिन में 10.30 बजे से 11 बजे के मध्य सी0डिओ अभिनव यादव व नेहा रानी ने चौकी इंचार्ज सुनील यादव को बुलाकर 10-10 थप्पड़ मरवाया दोनों को बाध्य किया कि नेहा रानी का पैर छुकर माफी मांगों।

इस परिवाद के समर्थन में अनवर अहमद व अब्दुल्ला कलाम ने अपना शपथपत्र व आधारकार्ड प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्ट्या मानवाधिकार के उल्लंघन और मानव गरिमा गिराने का अभियोग है अतः यह प्रकरण एच0आर0 केस के रूप में पंजीकृत किया जाये व परिवादियों के बयान के लिये 2.30 बजे पेश हो।


 01.2.21

पी0एन0 श्रीवास्तव

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1,  
भदोही-ज्ञानपुर।

3 पी0एम0

परिवादी अनवर व अब्दुल्ला उपस्थित उनका कथन ई0डब्लू-1 और ई0डब्लू-2 के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी अन्य साक्ष्यों की सूची दिनांक 06.02.2021 तक प्रस्तुत करें।

 01.2.21


पी0एन0 श्रीवास्तव  
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1,  
भदोही-ज्ञानपुर।

03.2.21 — application to press one

C.C.T.V Footage dated 29-1-21  
from 10 am to 3 pm. will

be of witness. put up on date  
fixed - summary - C.U. &

Ramchandra date fixed

 3.2.21

Received memo  
every 8/1/21  
by [Signature]

06/02/2021 Case - called  
out. witness Ramash is  
present. and Rajesh  
Balaram.

Applicant Abdul  
Kalam & son was present.  
statement of EW3/EW4  
recorded. Adornments

~~22/02/2021~~ for ref evidence  
~~ACM~~ on 02/3/21. ~~sent a letter~~  
to S.P BHADANI.

23/02/2021 Today 06/2/21

deposit of ~~by~~ S.P BHADANI/  
SH.O BHADANI received  
regularly person of  
S.I. Sunil Yadav.

summons - Not witness

Abhiramya Singh ready  
of U.T (SC) / Bodhik  
Foothills Jm for 04/3/21

S

In the court of A.S.J. Court No.1, / Special Judge  
Human Right Preservation Act 1993.

**H.R. Case No. 03/2021**

Complainant Anwar Ahmad and Abdul Kalam identified by his advocate submitted application 23-kha to withdraw his complaint for adopting other mode of proceeding.


As per circular order of Hon'ble High Court designated court of human right act cannot take cognizance directly unless the case is committed to court of session. Though, this court is designated under Section 30 of human right act 1993 but there is no specific procedure to conduct inquiry or trial. By virtue of Section 4(2) Cr. P. C. chapter XV Cr. P.C. is applicable for conducting an inquiry or trial. Section 201 Cr. P. C. provides procedure by magistrate not competent to take cognizance of the court. If the complaint is in writing return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect.

This complaint is returned to the complainant to present before proper court.

Date:- 02-03-2021

P.N. Srivastava  
Addl. Sessions Judge Court  
No.-1, Bhadohi.

Bom 02/03/2021



CNR NO- UP/NM/0001952024  
FILE NO- W-5/145/2024  
FILE DATE- 01/02/2021  
406

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी भद्रोही।

नं०मु०

परिवाद ०३

सन् 2021 ई०

- १— अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद उम्र लगभग ५५ वर्ष निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भद्रोही—सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भद्रोही।
- २— अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली उम्र लगभग २४ वर्ष निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जिला भद्रोही—सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भद्रोही।

#### बनाम

- १— अभिनव यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार यादव उम्र लगभग वर्ष निवासी ग्राम रंजितपुर, मदारपुर जिला—जौनपुर उ०प्र० “सिविल जज सी०डी० जनपद न्यायालय—भद्रोही”
- २— सुनिल यादव चौकी इन्वार्ज कस्बा ज्ञानपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद—भद्रोही
- ३— नेहा रानी पुत्री श्री प्रमोद कुमार उम्र लगभग वर्ष निवासिनी भायपुर पो० शरीफनगर, तहसील ठाकुरद्वार, जनपद—मुरादाबाद उ०प्र० “आशुलिपिक न्यायालय सिविल जज सी०डी० जनपद न्यायालय भद्रोही”

घटना का दिनांक—२९.०१.२०२१ ई०

समय लगभग १०:३० से ११ बजे दिन तक

घटना स्थल— चेम्बर सिविल जज सी०डी० जनपद न्यायालय परिसर भद्रोही स्थान ज्ञानपुर।

परिवाद पत्र मिनजानिव अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भद्रोही व अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भद्रोही स्थान ज्ञानपुर।

#### परिवादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

दफा—१ यह कि परिवादीगण जनपद न्यायालय भद्रोही में सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त हैं तथा न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष एवं उससे संम्बंधित विश्राम कक्षों की सफाई नियमित रूप से करते हैं। *Ans*

सफाई नियमित रूप से करते हैं। *Ans*

अंतर्मुख अदाए

अब्दुल कलाम

01-02-2021

५०८

दफा-2 यह कि हम परिवादीगण पूरे सेवा काल में अपनी निष्ठा एवं ईमानदारी से सफाई का कार्य कर रहे हैं, कभी भी हम परिवादीगण की कोई शिकायत नहीं रही है।

दफा-3 यह कि दिनांक-29.01.2021 ई0 को लगभग 10:30 बजे हम परिवादीगण को श्री अभिनव यादव सिविल जज सी0डिओ ने अपने चपरासी रमेश से चेम्बर में बुलवाया/परिवादीगण श्री अभिनव यादव के चेम्बर में गये तो वहाँ पर चौकी इन्वार्ज कस्बा ज्ञानपुर सुनिल यादव बैठे थे परिवादीगण जैसे ही चेम्बर में पहुँचे तो श्रीमान सिविल जज साहब ने कहा की तुम लोग मेरे स्टेनो नेहा सिंह के कुर्सी पर पिन लगाये थे। जिसके कारण नेहा सिंह को पिन चुभ गयी तुम लोगो ने ऐसा क्यों किया। हम परिवादीगण ने कहा कि श्रीमान् जी हम लोग ऐसा क्यों करेगे हम लोगो ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, इस पर श्रीमान् सिविल जज महोदय ने दरोगा सुनिल यादव से कहा कि इन दोनों को मारो जब तक दोनों कबूल न ले कि पिन इन्हीं दोनों ने लगाया है। जब चौकी इन्वार्ज सुनिल यादव हम परिवादीगण को दस-दस झापड़ मारा और गाली दिया तथा श्रीमान् सिविल जज महोदय ने कहा कि दोनों अपने अल्लाह की कसम खाओ नहीं तो बहुत पीटेंगे हम परिवादीगण गिड़गिड़ातें रहे कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया है। इस पर श्रीमान् सिविल जज साहब ने दरोगा से कहा कि ऐसे नहीं कबूलेंगे इन्हे चार-चार थप्पड़ और लगाओ, और इनसे कबूलनामा लिखवाओ तब चौकी इन्वार्ज सुनिल यादव ने फिर हम परिवादीगण को चार-चार झापड़ मारा और सादे कागज पर हम परिवादीगण से जबरदस्ती दस्तखत करवाया।

दफा-4 यह कि हम परिवादीगण को श्रीमान् सिविल जज साहब ने नेहा ~~सिंह~~ के पैर पर गिरकर मॉफी मगवाया।

दफा-5 यह कि हम परिवादीगण ने घटना के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय भद्रोही से मिलकर अपने साथ घटित घटना के सम्बन्ध में सारी बात बताया।

अन्तर्भूत अनुभव

अष्टम कलाम

२५/१-२२

५०३

- दफा-6 यह कि विपक्षी अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण को मारा पिटा गया जबरदस्ती कागज पर दस्तखत बनवाया गया तथा जबरदस्ती ~~अल्लाह~~ की कसम खाने को मजबूर किया गया तथा नेहा ~~राजीव~~ का पैर पकड़ कर माफी मगवाँ कर परिवादीगण को अपमानित किया गया। तथा परिवादीगण के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया।
- दफा-7 यह कि परिवादीगण निम्नसमाज हेला जाति से है तथा सफाई कर्मी है विपक्षीगण द्वारा मानवाधिकार का उलंघन करते हुए परिवादीगण के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया तथा मार-पीट कर अपमानित किया गया। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत् अपराध की श्रेणी में आता है।
- दफा-8 यह कि उक्त परिवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घटित घटना से सम्बन्धित है। जिसके सुनवाई का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- दफा-9 यह कि विपक्षी/अभियुक्तगण को तलब किया जाकर दण्डित किया जाना न्याय की दृष्टि में आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि, विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा करे।

दिनांक- ०१-०२-२०२१ अप्रृत अद्यमद

अक्षुल कालाम

२५ दिसंबर  
०१-२-२१



519

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश  
मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी भदोही ।

नं०मु०

परिवाद ०३

सन् 2021 ई०

अनवर अहमद आदि

बनाम

अभिनव यादव आदि ।

घटना का दिनांक—29.01.2021 ई०

समय लगभग 10:30 से 11 बजे दिन तक

घटना स्थल— चेम्बर सिविल जज सी०डि०  
जनपद न्यायालय परिसर भदोही स्थान  
ज्ञानपुर ।

शपथपत्र मिनजानिव अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली निवासी पोस्ट अफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही—सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही निम्न बहलफ बयान किया है कि—

दफा—1 यह कि मिन शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी एवं सफाई कर्मचारी है। ✓

दफा—2 यह कि शपथकर्ता माननीय न्यायालय में तलब किये जाने हेतु परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है।

दफा—3 यह कि परिवाद पत्र के मजमून दफा 1 लगायत 9 को शपथकर्ता की तरफ से शपथपत्र का अंश समझा जाय एवं उसे शपथपत्र के रूप में पढ़ा जाय। जिसे शपथकर्ता तसदीक करता है।

अब्दुल कलाम

३१

०१-२-२१


मैं कि अब्दुल कलाम तसदीक करता हूं कि उपरोक्त मजमून दफा 1 लगायत 3 दफा तक मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। जिसमें कोई बात झूठी नहीं है न तो छुपाई ही गयी है। खुदा मेरी मदद करे। तसदीक स्थान ज्ञानपुर।

अब्दुल कलाम

३

०१-२-२१

दिनांक—०१-०२-२०२१



69

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश  
मानवाधिकार संरक्षण अधि० भद्रोही ।

નોસું

परिवाद ०३

सन् 2021 ई०

अनवर अहमद आदि

ବନ୍ଦାମ

अभिनव यादव आदि ।

घटना का दिनांक—29.01.2021 ई०

समय लगभग 10:30 से 11 बजे दिन तक

घटना स्थल— चेम्बर सिविल जज सी०डि०  
जनपद न्यायालय परिसर भदोही स्थान  
ज्ञानपुर।

शपथपत्र मिनजानिव अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही-सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही निम्न बहलफ बयान किया है कि—

दफा-1 यह कि मिन शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी एवं सफाई कर्मचारी है।

यह कि शपथकर्ता माननीय न्यायालय में तलब किये जाने हेतु परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है।

यह कि परिवाद पत्र के मजमून दफा 1 लगायत 9 को शपथकर्ता की तरफ से शपथपत्र का अंश समझा जाय एवं उसे शपथपत्र के रूप में पढ़ा जाय। जिसे शपथकर्ता तसदीक करता है।

ବୀରପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ Ach

मैं कि अनवर अहमद तसदीक करता हूँ कि उपरोक्त मजमून दफा 1  
लगायत दफा 3 तक मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। जिसमें  
कोई बात झूठी नहीं है न तो छुपाई ही गयी है। खुदा मेरी मदद  
करे। तसदीक स्थान ज्ञानपुर।

दिनांक-०१-०२-२०२१


31-722 81E415

3

*A.S.*

01-2-21

# डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भदोही - ज्ञानपुर



३८  
४५  
५०  
५५  
६०

ज्ञानपुर बार एसोसिएशन

, 20/ 6339


न्यायालय श्रीमान् अपरस्त्रवन्यापाधीश विशेष न्यायाधीश / ज्ञानपुर भदोही  
वाद संख्या / अपील संख्या / निगरानी संख्या मानवाधिकार संघ अधिकारी सन् २०२१  
परिवाद वादी / प्रार्थी / अपीलकर्ता / निगरानी कर्ता  
अनवर अट्टमद आदि।

बनाम

अभिभाषक-पत्र अद्वितीय आदि

प्रतिवादी / प्रत्युतरदाता / आपत्तिकर्ता

मैं/हम अनवर अट्टमद अद्वितीय आदि अधिकारी  
अधिकारी कलाम ५० वरकर अली निवासीगण-प्रेस्ट  
आफिस के पाठ्य ज्ञानपुर धान-ज्ञानपुर जिल्हा भदोही  
ने श्री सुरेन्द्र कुमार दुड़वोकें ह N ९३५८/१०१३



गवाई को उपरोक्त वाद कार्यवाही हेतु विधिक शुल्क या पक्षों के बीच निर्धारित देय शुल्क के आधार पर अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है। अधिवक्ता महोदय को पंच नियुक्त कर दें, अपने हस्ताक्षर से संधि-पत्र प्रस्तुत करने, उसे प्रमाणित करने व हर प्रकार के आवेदन-पत्र देने, वाद उठाने, अथवा युनः प्रस्तुत करने, की अनुमति के साथ वाद उठाने, वाद निरस्त करने, अथवा अपास्त करने, का आवेदन पत्र देने, पुर्नस्थापना पत्र देने, साक्ष्य हेतु अभिलेख पुस्तुत करने व उन्हें वापस प्राप्त करने, और लिखित कथन व अन्य अभिकथन, अपील प्रस्तुत करने, व हर प्रकार के न्यायालय शुल्क आदि को वापस प्राप्त करने का अधिकार मेरे लिए व मेरे समान होगा जो मेरे अधिवक्ता द्वारा कृत कार्यवाही समझी जायेगी जो मुझे स्वीकार होगी। न्यायालय द्वारा जो धनराशि अथवा परिव्यय दिलाया जायेगा उसे मेरी तरफ से प्राप्त करने का अधिकार मेरे अधिवक्ता महोदय का होगा। उपरोक्त प्राविधान व अन्य विविध आधारों के साथ यह अभिभाषक-पत्र हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

निम्नलिखित प्राविधानों के साथ अभिभाषक-पत्र स्वीकार है।

- यदि परिश्रमिक शुल्क पूर्णतः भुगतान नहीं की जायेगी तो मैं उपरोक्त वाद/कार्यवाही के क्रम में काम को बाध्य नहीं हूँ।

प्रभुर  
जल लोह

दिनांक १०-२-२१

माह

वर्ष

२०२१/२४ कुमा०  
२०१३/१०९३८



गवाई

100

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 /  
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

एच० आर० केश नं० ३०/२०२१ (EW)

बयान परिवादी—अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद आयु 44 वर्ष सफाई कर्मचारी सिविल न्यायालय भदोही आवासीय पता—ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस के पीछे थाना—ज्ञानपुर जिला भदोही ने सशपथ बयान किया।

मैं सिविल न्यायालय भदोही में संविदा पर सफाई कर्मी का काम पिछले 20 वर्ष से कर रहा हूँ। मेरी डयूटी सरपतहा में सिविल कोर्ट की सफाई करने की है, और जिला जज के अदालत से दक्षिण की ओर स्थित न्यायालय, विश्राम कक्ष की सफाई करने सबेरे 7.30 या 8 बजे रोज आते हैं। हर न्यायालय के पेशकार या स्टाफ के पास चाभी रहती है। जब स्टाफ खोलता है तभी सफाई करते हैं।

मेरे साथ दिनांक— 29.01.2021 को यह घटना हुयी है कि सुबह 10.30 बजे सिविल जज सीनियर डिविजन अभिनव यादव ने अपने चपरासी रमेश से अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा कि तुम लोगों ने नेहा की कुर्सी में पिन लगाया है। हमने और अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोगों ने यह काम नहीं किया है और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अभिनव यादव ने दारोगा सुनील यादव से कहा कि इन दोनों को मारो जब तक ये लोग कबूल न कर ले कि पिन इन लोगों ने लगाया है। इतना सुनते ही दारोगा सुनील ने 8-10 झापड़ मुझे और 8-10 झापड़ अब्दुल्ला को मारा। दारोगा ने फिर मुझको गाली देते हुये कहा कि साले मैडम नेहा का पैर पकड़कर माफी मागों नहीं तो फिर मारेगे। हम लोगों ने अल्ला की कसम खाकर कहा कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। तब अभिनव यादव के उकसाने पर दारोगा सुनील यादव ने 4-5 थप्पड़ फिर अब्दुल्ला को मारा और सिविल जज साहब ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी गलती नहीं हैं, अब्दुल्ला को तुम मारो। दारोगा सुनील यादव 29.01.2021 को सिविल जज के चैम्बर में आया था यह सी.सी.टी.वी. फुटेज में मौजुद होगा।

उसके बाद अभिनव यादव ने अपने स्टेनो नेहा का पैर

अन्तर्गत  
अद्वितीय

१००  
१२.२

पकड़ाकर मुझसे और अब्दुल्ला से जबरजस्ती माफी मांगवाया उसके बाद हम लोगों से एक सादे कागज पर दस्तखत करवा कर भगा दिया। मैंने इस घटना की सूचना नाजिर राजेश सिंह व डिपटी नाजिर आनन्द तिवारी को तुरंत दिया है और डिपटी नाजिर मुझे लेकर जिला जज के पास गये थे मैंने यही बात जिला जज को बतायी। मेरे साथ मारपीट के समय चन्द्रेश कम्प्यूटर बाबू भी आये थे। आनन्द तिवारी हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो भी हुआ भूल जाओ नहीं तो लम्बा फस जाओगे। यही मेरा बयान है मेरे साथ न्याय किया जाये।

~~उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर ममता  
स्टेनो के द्वारा टकित किया गया।~~

पी०एन० श्रीवास्तव

01.2.21

सुनकर तसदीक किया।

अन्ते उम्मत

दिनांक 01.02.2021

११९

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993/  
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

एच0आर0 केश नं० ३५/२०२१ (EW 2)

बयान परिवादी— अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली आयु 28 वर्ष सफाई कर्मचारी सिविल न्यायालय भदोही आवासीय पता— ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस के पीछे थाना—ज्ञानपुर जिला भदोही ने सशपथ बयान किया।

मैं सिविल न्यायालय भदोही में संविदा पर सफाई कर्मी का काम वर्ष 2011 से कर रहा हूँ। मेरी डयूटी सरपतहा में सिविल कोर्ट की सफाई करने की हैं, और जिला जज के अदालत से दक्षिण की ओर स्थित न्यायालय विश्राम कक्ष की सफाई करने सबेरे 7.00 बजे रोज आते हैं। हर न्यायालय के पेशकार या स्टाफ के पास चाही रहती है। जब स्टाफ खोलता है तभी सफाई करते हैं।

मेरे साथ दिनांक— 29.01.2021 को यह घटना हुयी है कि सुबह 11.00 बजे सिविल जज सीनियर डिविजन अभिनव यादव ने अपने चपरासी रमेश से अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा कि तुम लोगो ने नेहा की कुर्सी में पिन लगाया है। हमने कहा कि हमने यह काम नहीं किया है और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर अभिनव यादव साहब ने मुझसे कहा कि यह काम तुम्हीं ने किया है। अभिनव यादव ने दारोगा सुनील यादव से कहकर मुझको मरवाये और कहे कि जब तक यह कबूल न कर ले कि पिन नेहा के चेयर पर मैंने लगाया है तब तक इसको मारो। इतना सुनते ही दारोगा सुनील ने मुझे 5-10 झापड़ मारा। दारोगा ने फिर मुझको गाली देते हुये कहा कि साले मैडम नेहा का पैर पकड़कर माफी मागों नहीं तो फिर मारेगे। हम लोगो ने अल्ला की कसम खाकर कहा कि हमने कोई गलती नहीं की है। तब अभिनव यादव के उकसाने पर दारोगा सुनील यादव ने 4-5 थप्पड़ फिर मारा और सिविल जज साहब ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी गलती नहीं हैं। दारोगा सुनील यादव 29.01.2021 को सिविल जज के चैम्बर में आया था यह सी.सी.टी.वी. फुटेज में मौजुद होगा। जब मैं सफाई करके निकल रहा था तभी रमेश चपरासी चैम्बर में घुस रहा था। उसके बाद अभिनव यादव ने अपने स्टेनो नेहा का पैर पकड़कर मुझसे जबरजस्ती

अठूलक भाग

०१.२.२१

११२

2

माफी मांगवाया उसके बाद हमसे एक सादे कागज पर दस्तखत करवाकर भगा दिया। मैंने इस घटना की सूचना नाजिर राजेश सिंह व डिपटी नाजिर आनन्द तिवारी को तुरंत दिया है और डिपटी नाजिर मुझे लेकर जिला जज के पास गये थे मैंने यही बात जिला जज को बतायी। मेरे साथ मारपीट के समय चन्द्रेश कम्प्यूटर बाबू भी आये थे। आनन्द तिवारी हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो भी हुआ भूल जाओ नहीं तो लम्बा फस जाओगे। यही मेरा बयान है मेरे साथ न्याय किया जाये।

उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर ममता  
स्टेनो के द्वारा टंकित किया गया।

पी०एन० श्रीवास्तव

दिनांक 01.02.2021

सुनकर तसदीक किया।

अक्षयकामना

जनपद - 12

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,  
भदोही।

सेवा में,

पी०एन० श्रीवास्तव,  
अपर जिला जज- प्रथम,  
भदोही।

पत्रांक - 140/XV ज्ञानपुर; दिनांक: फरवरी, 03, 2021

महोदय,


आपके न्यायालय में लम्बित मानवाधिकार मुकदमा सं० - 03/2021  
अनवर अहमद बनाम अभिनव यादव व अन्य के मेमो एवं शपथ पत्र के प्रति की  
आवश्यकता है।


अतः उक्त दोनों प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
जनपद न्यायाधीश

भदोही।

Session's clerk to  
comly for R.W.L.  
  
ADS - Court No/

13<sup>(a)</sup>

विशेष न्यायालय घोषमानवा छिकारसंरचना अधिनियम  
न्यायालय श्रीमान अपरस्त्र न्यायालय घोष महोदय प्रथम ज्ञानपुर

नमू०

परिवाद

०३

सन 2021

अनवर अहमद जाफि

बनाम

अभिनव यादव सिविल जज आदि

थाना ज्ञानपुर

प्राथीना पत्र भिनजा निव अनवर गहवद पुत्र ललोल अहमद वाडीन०३ कुवरगंज

थासा ज्ञानपुर जिला भदोही माफति श्री सुरेन्द्र कुमार एचॉफैट।

दफा०१- यहकि प्राथी द्वारा एक कितापरिवादपत्र माननीय न्यायालय मे दाखिल किया है

जिसमा ० न्यायालय द्वारा प्राथीका वयान अंकित किया जा चुका है।

दफा०२ यहकि माननीय न्यायालय मे लगे सो सो टोवी फुटेज का दि०-२०-१-२१

समय १ बजे से ३ बजे तक का सो सो टो वो फुटेज सुरक्षित किया जाना

जरुरी है।

दफा०३ यहकि घटना वाले दिन दरोगा सुनील कुमार यादव घटना के समय न्यायालय

परिसर में परस्थित थे।

दफा०४- यहकि उक्त दिनांक का शो न्यायालय परिसर का सीसो टो बी

फुटेज सुरक्षित रखा जाना न्याय को दृष्टि में आवश्यक है।

अतः श्रीमान जो सै प्राथी है कि दि०-२९-१-२०२१ समय १ बजे से  
३ बजे तक न्यायालय परिसर के सीसो टो बी फुटेज को सुरक्षित  
रखे जाने को कृपा करे ताकि न्याय हो।

दि०- ३-२-२०२१

अनवर अहमद

Put up  
with  
record  
Bom  
03/02/21

१८८  
ई०डब्ल०-३

06-02-2021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993/अपर जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश, कक्ष सं०-१, भदोही।

एच०आर० केस नं० ०३/२०२१

अनवर अहमद आदि—बनाम—अभिनव यादव आदि

नाम साक्षी रमेश कुमार पिता का नाम स्व० रामआजोर उम्र लगभग 52 साल  
स्थायी पता—ग्राम मरियमपुर, थाना पटठी प्रतापगढ़ हाल पता दफतरी न्यायालय सिविल जज  
सीनियर डिवीजन भदोही—ज्ञानपुर ने शासपथ बयान किया।

मैं अभिनव यादव के साथ तब से काम कर रहा हूँ जब से साहब इस कोर्ट में  
आये हैं। स्टेनो नेहा रानी अभिनव यादव साहब के साथ पहले से भी काम कर रही थी।  
और इस कोर्ट में भी साहब के आने के बाद उनका ट्रान्सफर हुआ था। सिविल जज  
सीनियर डिवीजन न्यायालय में अम्रतपाल अर्दली है और मनोज कुमार चपरासी है।

मैं सफाई कर्मी अनवर अहमद और अब्दुल्ला को जानता पहचानता हूँ अनवर  
लगभग 20 साल से कचहरी में सफाई का काम करता है। अब्दुल्ला जब यहा कचहरी आयी  
है तब से उसे मैं देख रहा हूँ। अभिनव साहब ने मुझसे अनवर और अब्दुल्ला को अपने  
चैम्बर में 29 जनवरी 2021 को बुलवाया था। चैम्बर में बड़े बाबू पेशकार, और टाइप बाबू  
सब थे। मेरे बुलाने पर अनवर और अब्दुल्ला साहब के चैम्बर में आये थे और चैम्बर में ही  
उनका बयान पेशकार ने लिखा था। बयान के समय साहब कोर्ट में नहीं थे। इसके बाद हम  
लोग सब बाहर निकले, इसके बाद दुबारा बुलाने मैं नहीं गया। साहब ने दुसरी बार किसी  
से अनवर और अब्दुल्ला को बुलवाया था। ज्ञानपुर थाने का चौकी इंचार्ज कब आया यह तो  
मैं नहीं बता सकता लेकिन जब अनवर और अब्दुल्ला बाहर आये तब दोनों ने बताया कि  
उन्हें दरोगा ने सिविल जज साहब के चैम्बर में मारा है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता  
हूँ।

पुरा बयान पढ़कर साक्षी सुनाया गया  
साक्षी सुनकर सत्यता का तसदीक किया।

रमेश कुमार  
दफतरी  
६-२-२१

मेरे द्वारा बोला गया बयान ममता  
स्टेनो द्वारा टंकित किया गया।

अपर जिला जज कक्ष संख्या-१,  
भदोही।

दिनांक— 06.02.2021

प्राप्त जानकारी  
प्राप्ति की तरा

180  
इ0डब्लू0-4

06-02-2021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993/अपर जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, भदोही।

एच0आर0 केस नं0 03 / 2021  
अनवर अहमद आदि—  
बनाम—

अभिनव यादव आदि

नाम साक्षी राजेश बहादुर सिंह पिता का नाम स्व0 श्री गुलाब सिंह उम्र  
लगभग 53 साल स्थायी पता—पटेल नगर, थाना—ज्ञानपुर जिला भदोही पद नाम— केन्द्रीय  
नाजिर सिविल कोर्ट ज्ञानपुर भदोही शासपथ बयान किया है।

मैं जनवरी 2019 से केन्द्रीय नाजिर के पद पर हूँ श्री अनवर अहमद व अब्दुल  
कलाम संविदा पर सफाई का काम करते हैं। अनवर लगभग 20 साल और अब्दुल कलाम  
लगभग 15 साल से सफाई कर्मी का काम कर रहा है। इन दोनों सफाई कर्मियों के कार्य व  
आचरण पर कभी कोई शिकायत नहीं मिली। दोनों कर्मचारी अति विनम्र और अज्ञाकारी हैं।  
मुझे 29 जनवरी 2021 को 1.30 से 2 बजे के बीच नजारत में अनवर व अब्दुल कलाम ने  
आकर बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिनव यादव ने अपने चैम्बर में दारोगा  
से 10-10 थप्पड़ मरवाया। यह बताया कि पिन गिरी थी इसलिये मुझे मरवाया। मैंने कुछ  
नहीं किया था सहायक नाजिर आनन्द तिवारी इन लोगों<sup>(को जिला)</sup> जज सामने पेश किये  
थे।

पुरा बयान पढ़कर साक्षी को सुनाया गया  
साक्षी ने सुनकर सत्यता तसदीक किया।

2.2.21  
G. 2.2.21

80000/6221  
उपराक्त बयान मेरे बोलने  
पर ममता स्टेनो द्वारा टंकित  
किया गया।

अपर जिला जज कक्ष संख्या-1,  
भदोही।

दिनांक— 06.02.2021

रिपोर्ट थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही

२०१८  
३

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय  
जनपद भदोही

महोदय,

निवेदन है कि आप अपने पत्र संख्या च-02/2021 दि0 18.02.2021 के द्वारा थाना स्थानीय पर नियुक्त उ0नि0 नागरिक पुलिस सुनील कुमार यादव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की सूचना मांगी गयी है जिसका विवरण निम्नवत है-

1.बैच नं0- 2017

2.पीएनओ 172160250

3.स्थायी पता- ग्राम खुर्द कर्मी थाना चिरईयाकोट जनपद मऊ उ0प्र0

4. रवानगी जी0डी0 न0 28 समय 11.18 बजे दिनांक 28.01.2021 वापसी जी0डी0 न0 47 दिनांक 19.53 बजे दिनांक 29.01.2021 | दि0 29.01.2021 को समय 10.23 बजे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद भदोही श्री प्रभाष त्रिपाठी द्वारा माननीय सिविल जज सी0 डी0 श्री अभिनव यादव के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया | जिसके क्रम उ0नि0 सुनील यादव उनके न्यायालय में उपस्थित हुए थे | न्यायालय परिसर में कोई प्रतिकूल बात न होने के कारण उ0नि0 सुनील यादव द्वारा रो0आम में किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गयी ।

प्रभारी निरीक्षक  
थाना ज्ञानपुर  
जनपद भदोही

seen  
Kept  
3

२१व

# कार्यालय

पत्र संख्या: च-02/2021  
सेवा में,

# पुलिस

# अधीक्षक

# भदोही।

दिनांक: फरवरी 22, 2021

मा०अपर जिला जज / विशेष जज मानवाधिकार,  
ज्ञानपुर-भदोही।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित-शून्य का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से उ०नि०ना०पु० सुनील कुमार यादव के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यथावाचित् सूचना बिन्दुवार निम्नवत् सादर प्रेषित हैः-

01. His batch no.2017
02. PNO No.172160250
03. Permanent address.—ग्राम—खुर्दकर्मी, थाना—चिरईयाकोट, जनपद—मऊ
04. Entry of GD by which he proceeded to Civil Court and name of Officer who called him.—रवानगी जी०डी०नं०—28 समय—11.18 बजे दिनांक—28.01.2021, वापसी जी०डी०नं०—47 समय—19.53 दिनांक—29.01.2021, दिनांक—29.01.2021 को समय 10.23 बजे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद भदोही श्री प्रभाष त्रिपाठी द्वारा माननीय सिविल जज सी०डी० श्री अभिनव यादव के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में उ०नि०सुनील यादव उनके न्यायालय में उपस्थित हुए थे। न्यायालय परिसर में कोई प्रतिकूल बात न होने के कारण उ०नि०सुनील यादव द्वारा रो०आम में किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गयी।


(राम बदन सिंह)  
पुलिस अधीक्षक,  
भदोही।

*B/2021  
1/2021  
3*

१३०

समक्ष न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993  
 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- १ भदोही।  
 एच०आर० केस नं०- ३/२०२१

अब्दुला एवं अन्य



बनाम

1. अभिनव यादव सिविल जज सीनियर डिवीजन
2. सुनील यादव तत्कालीन चौकी इंचार्ज कस्बा ज्ञानपुर।
3. नहा रानी आशुलिपिक सिविज जज सीनियर डिवीजन

हम प्रार्थीगण अनवर अहमद एवं अब्दुलकलाम निम्न निवेदन करते हैं-

1. यह कि दि० २९.०१.२१ को १०:३० से ११ बजे के बीच श्री अभिनव यादव सिविल जज अपने चैम्बर में बुलवाकर वहां पहले से बैठे हुए दरोगा सुनील यादव से हम लोगों को १०-१० थप्पड़ मरवाकर अल्लाह की कसम दिलवाई और हमारे मजहब के विरुद्ध नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए बाध्य किया।
2. यह कि प्रार्थीगण ने डिप्टी नाजिर आनन्द तिवारी के साथ जाकर जिला जज महोदय को पूरी घटना से अवगत कराया, परंतु तीन दिन बीत जाने के बाद भी जिला जज ने कोई कार्यवाही नहीं किया तब प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया।
3. यह कि प्रार्थीगण अनवर अहमद, अब्दुल्ला तथा गवाह रमेश दफतरी और सेंट्रल नाजिर का बयान पूर्ण हो चुका है और मामला जांच के स्तर पर है।
4. यह कि प्रार्थीगण ने अंजुमन हिमायतान चपरासियान के महामंत्री को अपने साथ हुई घटना के बारे में शिकायत किया और शपथपत्र दिया था।
5. यह कि अंजुमन हिमायतान चपरासियान के द्वारा मेरे दिए हुए शिकायत पत्र को जिला जज महोदय को आवेदन दिया और जिला जज महोदय ने जांच के आदेश कर दिए हैं।
6. यह कि उक्त घटना जिला जज महोदय के संज्ञान में आने पर जिला जज महोदय ने हम प्रार्थीगण को नोटिस दिया जिसका उत्तर भी हम लोगों ने माननीय जिला जज महोदय को दे दिया है। नोटिस एवं उत्तर की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

### प्रार्थना

यह कि न्यायिक प्रक्रिया जटिल और लंबी है जिसमें त्वरित न्याय मिलना संभव नहीं है। अतः प्रशासनिक जांच संस्थित होने के कारण हम प्रार्थीगण परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं तथा भविष्य में अग्रेतर कार्यवाही का अधिकार संरक्षित रखते हुए हम अपने परिवाद को वापस लेते हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अप०२२ अ०२४८

अ०२४९ कलाम

रामेश्वर मिश्र

Rameshwar Mishra  
Advocate

०१/०३/२०२१

२५१८

# प्रशासनिक कार्यालय—जिला न्यायाधीश, भदोही।

आदेश संख्या— ९४, / 12.02.2021

नोटिस

## बनाम

श्री अनवर अहमद  
सफाई कर्मचारी  
जनपद न्यायालय  
भदोही।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपने सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, चौकी इंजार्च कस्बा ज्ञानपुर, थाना—ज्ञानपुर श्री सुनील यादव एवं आशुलिपिक जनपद न्यायालय, भदोही श्री नेहा रानी के विरुद्ध एक परिवादपत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भदोही के न्यायालय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया है। उक्त परिवादपत्र संख्या—०३ सन् २०२१ है। परिवादपत्र में आप लोगों के द्वारा जो भी आरोप उपरोक्त तीनों के विरुद्ध लगाये गये हैं, उनका ज्ञान आपको अवश्य होगा, ऐसे में, उक्त तथ्यों का यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अतः आप निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक—१५.०२.२०२१ तक दीजिए :—

१. उक्त परिवादपत्र दिनांकित—०१.२.२०२१ के अतिरिक्त आपने दिनांक ०२.०२.२०२१ को, एक प्रतिवेदन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, जनपद न्यायालय, भदोही के अध्यक्ष व महामंत्री को भी दिया। इस प्रतिवेदन में भी वही तथ्य बताया गया है जो आपके परिवादपत्र में अंकित है। अतः आप इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या आपके द्वारा उक्त परिवाद, जो एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध है, को दायर करने से पूर्व उससे संबंधित नियमों व विधियों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ?

२. आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि घटित घटना के सन्दर्भ में आपने जनपद न्यायाधीश को सारी बात बतायी थी। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनांकित—२९.०१.२०२१, जिसका उल्लेख आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, के सन्दर्भ में आप लोगों ने मुझे विश्राम—कक्ष में आकर बताया था, ततपश्चात पुनः सीसीटीवी फुटेज को मेरे विश्राम कक्ष में लैपटाप पर देखा गया व उक्त समय आप व अब्दुल कलाम को बुलाया गया। उक्त समय आप दोनों के अतिरिक्त प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अपर जनपद न्यायाधीश श्री आलोक कुमार यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह, सहायक नाजिर श्री आनन्द तिवारी एवं कार्यालय

३१.२.२०२१ ई. मंग.


लिपिक श्री तंजीम अहमद उपस्थित थे। परन्तु प्रथम बार जब आपने घटना मुझे बताया उस समय मैंने तुरन्त घटना सुनकर आप लोगों को भेजा व श्री अभिनव यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन को चेम्बर में आहूत किया था। जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था तो उपरोक्त सभी लोग उपस्थित थे और देर तक इस प्रकरण पर बातचीत हुई थी। परन्तु आपने उस समय न तो मुझे यह बताया कि आप लोगों से कोई कबूलनामा करवाया गया है, न यह बताया कि श्री अभिनव यादव के द्वारा आपसे सादे कागज पर दस्तखत करवाया गया है और न ही यह बताया गया कि स्टेनो नेहा रानी का पैर पकड़वाकर माफी मंगवाया गया। अतः इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि कथित घटना के सन्दर्भ में आप लोग मेरे समक्ष दो बार उपस्थित हुए, परन्तु वह क्या परिस्थितियाँ थीं कि आपने इन सम्पूर्ण बातों को मेरे समक्ष नहीं बताया, जबकि दूसरे अन्य लोग भी, जिनका पूर्व में वर्णन किया गया है, उस समय विश्राम कक्ष में उपस्थित थे ?

3. आपने न तो 'परिवादपत्र में और न ही अपने प्रत्यावेदन में इस बात का कोई उल्लेख किया है कि स्टोनों की कुर्सी पर पिन चुभाने की घटना के कारण एक जॉच चल रही थी और उसी जॉच के अनुक्रम में श्री अभिनव यादव सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा आप लोगों को बुलवाया गया। इन तथ्यों का लोपन परिवादपत्र व प्रत्यावेदन में प्रस्तुत करने की अपनी मंशा का स्पष्टीकरण दें?

उपर्युक्त

4. इस सन्दर्भ में आप आपने स्पष्टीकरण दें कि वह क्या परिस्थितियाँ थीं कि बजाय मेरे समक्ष कोई प्रत्यावेदन देने के आपने दिनांक-01 फरवरी 2021 को आपके द्वारा परिवादपत्र दाखिल किया गया व 02 फरवरी 2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के समक्ष प्रत्यावेदन दिया गया, परन्तु कोई भी लिखित शिकायत मेरे समक्ष आप लोगों के द्वारा प्रेषित नहीं की गयी ?

दिनांक-12.02.2021

  
जिला न्यायाधीश  
भदोही।

अन्त-31-21

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
जनपद भद्रोही।

विषय-माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी को दिये गये नोटिस के जवाब के सम्बन्ध में।

### आदरणीय महोदय,

दिनांक 29.01.2021 ई0 को श्रीमान् सिविल जज सी0 डि0 महोदय भद्रोही द्वारा अपने अर्दलीय रमेश से मुझे व अब्दुल कलाम को अपने चेम्बर में बुलाया तब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम लोगों को किस लिए बुलाया है। जब वहाँ प्रार्थी गया तो श्रीमान् सिविल जज महोदय धमकाने लगे की तुम लोगों ने नेहा रानी की कुर्सी में पिन लगाया। जबकि हम लोग सफाई कर्मी हैं अधिकारी व कर्मचारीगण के आने के पूर्व ही अपना काम पूरा कर लेते हैं। श्री अभिनव यादव जी जी ने अपने चेम्बर में बैठे दरोगा सुनिल यादव को ललकारा की मारो सालों को जब तक यह कबूल न कर ले कि पिन हम लोगों ने लगाया है। इसके बाद दरोगा सुनिल यादव ने 8-10 झापड़ मुझे व 8-10 झापड़ अब्दुल कलाम को मारा इसके बाद सिविल जज साहब ने कहा कि नेहा रानी से पैर पकड़कर माफी मांगो और हमारे मजहब के खिलाफ मुझे, अब्दुल कलाम को मजबूर किया कि हम लोग नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगो।

महोदय, दिनांक 29.01.2021 ई0 को लगभग 1 बजे दिन में मुझे व अब्दुल कलाम को आनन्द तिवारी आकर चेम्बर में ले गये हम लोगों ने सारी घटना आप से बताया, लेकिन दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी 2021 तक श्रीमान् जी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि दिनांक 01.02.2021 ई0 को अपने चेम्बर में सम्मानित न्यायिक अधिकारी एवं नाजिर व डिप्टी नाजिर की उपस्थिति में हम लोगों को धमकी दी गयी कि नामजद एफआईआर करा देगे नाजिर यहाँ से इन लोगों को ले जाओ। इसके बाद प्रार्थी ने मजबूर होकर अपने अधिवक्ता को सारी बातें बताया और कहा कि जब माननीय जिला जज महोदय अपराध करने वाले को ही संरक्षण दे रहे हैं और मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं तब मेरे अधिवक्ता के बताने के अनुसार की यह मामला मानवाधिकार के उपर्युक्त हुए अपराध का है और कानून के समक्ष न्यायाधीश व प्रशासनिक अधिकारी भी समान हैं। जिसमें किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरे बताये गये तथ्यों के अनुसार मेरे अधिवक्ता ने यह परिवाद तैयार किया और अपने जूनियर सुरेन्द्र नाथ एडवोकेट से परिवाद पत्र दाखिल कराया जिसमें मेरा व अब्दुल कलाम का बयान हो चुका है।

श्रीमान् हम लोग मुस्लिम हेला तबके से सम्बन्ध रखते हैं और समाज का वह कार्य जिसे सारी दुनिया गिरा हुआ कार्य समझती है। उसका सम्प्रादन करते हैं। पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग 6 हजार रुपये के लिए इस न्यायिक परिवार का अंग रहे हैं और हमारे कार्य निष्ठा व चरित्र पर अब तक कोई अगुली नहीं उठी। तब यह कैसा न्याय है कि एक न्यायाधीश स्वयं ही बिना हमें दोषी पाये अपने विश्राम कक्ष में दरोगा से पिटवा रहा है और श्रीमान् जी ने पट्टी बांध लिया।

महोदय हम चूंकि 20 वर्ष से इस परिवार की सेवा कर रहे हैं अन्यथा 6 हजार रुपये तो प्रार्थी किसी सङ्क पर झाड़ू लगा कर कमा सकता है। माननीय महोदय की दृष्टि में यदि हम इंसान नहीं कीड़े मकोड़े हैं तो हमें जब चाहे कुचल दिजिए न तो हमारा कोई स्वाभिमान है न ही कोई सम्मान है।

अन्त अट्टा

95/2

(2)

महोदय आपके द्वारा दी गयी नोटिस के पैरा 1 में यह कथन है कि मुझे परिवाद दाखिल करने की सलाह किसने दिया। इस सम्बन्ध में जैसा कि उपर कहा है कि मैंने अपनी पीड़ा अपने अधिवक्ता को बताया और उन्होंने सुझाव दिया किया दी जब श्रीमान् जी के जानकारी के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह परिवाद दाखिल किया गया।

महोदय आपके द्वारा नोटिस के पैरा 2 में लिखा तथ्य सत्य नहीं है। क्योंकि इस घटना की जानकारी श्रीमान् जी को मैंने व अब्दुल कलाम ने दिनांक 29.01.2021 ई0 को ही दोपहर में दे दिया था और घटना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बातें बताई थीं कबूलनामा व नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगने की बात भी बताई थी, लेकिन श्रीमान् जी द्वारा घटना को छुपाने की गरज से नाजिर व डिप्टी नाजिर व सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आपके द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज दिखाया और धमकी दिया कि नाजिर ले जाईये नामजद एफ०आई०आर० कराईये। जब कि सी०सी०टी०वी० फुटेज में कोई ऐसा साक्ष्य है कि हम लोगों ने नेहा रानी की कुर्सी में पिन लगाया है। सत्यता तो यह है कि हम लोग नेहा रानी का नाम तक नहीं जानते थे।

महोदय नोटिस के पैरा 3 में लिखे गये तथ्य के बारे में यह कहना है कि पिन चुभाने की घटना की कोई जांच चल रही थी इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी क्योंकि श्रीमान् सिविल जज सि० डि० महोदय ने हमें व अब्दुल कलाम को जांच में उपस्थित होने के लिए कभी कोई नोटिस नहीं दिया बल्कि रमेश चपरासी के द्वारा चेम्बर में बुलवाकर पूर्व योजना के अनुसार चेम्बर में बैठे दरोगा से पिटवाना शुरू कर दिया। इसलिए परिवाद दाखिल करने तक हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी की पिन चुभाने की घटना की कोई जांच चल रही है। क्योंकि प्रार्थी व अब्दुल कलाम को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस कभी नहीं मिली।

महोदय नोटिस के पैरा 4 के सम्बन्ध में यह कथन करना है कि प्रार्थी श्रीमान् सिविल जज महोदय के चेम्बर में प्रार्थी दरोगा से पिटने के बाद नजारत में बैठ कर रो रहा था तब श्री आनन्द तिवारी ने हम लोगों को आप के समक्ष प्रस्तुत किया सारी घटना की जानकारी लेने के बाद भी दिनांक 29, 30, 31 जनवरी 2021 तक आपके द्वारा चुप्पी साधने एवं दिनांक 01.02.2021 को अपने चेम्बर में बुलाकर अपराध करने वाले न्यायाधीश महोदय को बचाने के उद्देश्य से प्रार्थी को ही धमकी देने लगे। इसलिए प्रार्थी ने माननीय महोदय के समक्ष प्रत्यावेदन न देकर मानवाधिकार न्यायालय की शरण लिया और घटना के सम्बन्ध में चतुर्थ कर्मचारी संघ दीवानी न्यायालय भदोही के अध्यक्ष व मंत्री महोदय को प्रत्यावेदन दिया।

आख्या सेवा में सादर समर्पित है।

दिनांक—15.02.2021 ई0

प्रार्थी

अनवर अहमद

सफाई कर्मचारी

जनपद न्यायालय भदोही

31/02/2021

अनवर अहमद  
सफाई कर्मचारी  
जनपद न्यायालय भदोही

२६८

# प्रशासनिक कार्यालय—जिला न्यायाधीश, भदोही।

आदेश संख्या—९३ / १२.०२.२०२१

## नोटिस

### बनाम

श्री अब्दुल कलाम  
सफाई कर्मचारी  
जनपद न्यायालय  
भदोही।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपने सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, चौकी इंजार्च कस्बा ज्ञानपुर, थाना—ज्ञानपुर श्री सुनील यादव एवं आशुलिपिक जनपद न्यायालय, भदोही श्री नेहा रानी के विरुद्ध एक परिवादपत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भदोही के न्यायालय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया है। उक्त परिवादपत्र संख्या—०३ सन् २०२१ है। परिवादपत्र में आप लोगों के द्वारा जो भी आरोप उपरोक्त तीनों के विरुद्ध लगाये गये हैं, उनका ज्ञान आपको अवश्य होगा, ऐसे में, उक्त तथ्यों का यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अतः आप निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक—१५.०२.२०२१ तक दीजिए :—

१. उक्त परिवादपत्र दिनांकित—०१.२.२०२१ के अतिरिक्त आपने दिनांक ०२.०२.२०२१ को एक प्रतिवेदन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, जनपद न्यायालय, भदोही के अध्यक्ष व महामंत्री को भी दिया। इस प्रतिवेदन में भी वही तथ्य बताया गया है जो आपके परिवादपत्र में अंकित है। अतः आप इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या आपके द्वारा उक्त परिवाद, जो एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध है, को दायर करने से पूर्व उससे संबंधित नियमों व विधियों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ?
२. आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि घटित घटना के सन्दर्भ में आपने जनपद न्यायाधीश को सारी बात बतायी थी। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनांकित—२९.०१.२०२१, जिसका उल्लेख आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, के सन्दर्भ में आप लोगों ने मुझे विश्राम—कक्ष में आकर बताया था, ततपश्चात पुनः सीसीटीवी फुटेज को मेरे विश्राम कक्ष में लैपटाप पर देखा गया व उक्त समय आप व अनवर अहमद को बुलाया गया। उक्त समय आप दोनों के अतिरिक्त प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अपर जनपद न्यायाधीश श्री आलोक कुमार यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह, सहायक नाजिर श्री आनन्द तिवारी एवं कार्यालय

अब्दुल कलाम

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,  
भदोही।

सेवा में,

पी०एन० श्रीवास्तव,  
अपर जिला जज- प्रथम,  
भदोही।

पत्रांक - २५९ /XV ज्ञानपुर; दिनांक: मार्च , ०३ , 2021  
महोदय,

आपके न्यायालय में लम्बित मानवाधिकार मुकदमा सं०- 03/2021 अनवर  
अहमद बनाम अभिनव यादव व अन्य की सम्पूर्ण पत्रावली की आवश्यकता है।

अतः उक्त सम्पूर्ण मूल पत्रावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

जनपद न्यायाधीश  
भदोही।

सम्मूही पत्रावली अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित।

म  
ठा० अ० २१